न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 24.06.2025

मुकदमा नम्बर 16/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/30
बशु कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. अंकिता कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. अंजू कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. कंचन कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. सुमन कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री धमेन्द्र सिंह शेखावत अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री दिनेश कुमार मेघवाल अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करता है कि गुलाबसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 3.4500 हैक्टेयर खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.3700 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 474 तादादी 6.3400 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.6600 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 513 तादादी 7.3400 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। गुलाबसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर की मृत्यु के बाद उपरोक्त खसरान की भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 972 दिनांक 22.07.2021 को वादिनी व गौणप्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से दर्ज हो गई। जिसके वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1132/165 तादादी 0.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1133/474 तादादी 0.5100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.66 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी का 1/5 हिस्सा व गौणप्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/5–1/5 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी वादिनी व गौण प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम गुलाबसिंह की मृत्यु के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 972 दिनांक 22.07.2021 के जरिये दर्ज हुई है। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादिनी का बोलता नाम बशु कंवर दर्ज कर दिया गया जबकि वादिनी का सही व दस्तावेजी नाम डिम्पल कंवर है। वादिनी अनपढ व ग्रामीण परिवेश की महिला है, जिसे अपने घर, परिवार, समाज व गांव में डिम्पल कंवर के नाम से जाना व पूकारा जाता है व गुलाबसिंह की मृत्युपंरात विरास्तन इन्तकाल संख्या 972 दर्ज करते समय वादिनी का बोलता नाम बशु कंवर दर्ज कर दिया गया, जबकि वादिनी के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादिनी का नाम डिम्पल कंवर अंकित चला आ रहा है। यानि वादिनी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार डिम्पल कंवर है। वादिनी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के. सी. सी. बनाने हेतु पटवार हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल जमाबंदी की नकले निकलवाई, तो वादिनी का नाम वादिनी के पैतृक खातेदारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत खसरा नम्बर 1132/165 तादादी 0.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1133/474 तादादी 0.5100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.66 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम गलत रूप से बशु कंवर अंकित कर रखा है। जबकि वादिनी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही डिम्पल कंवर रहा है, जिसको वादिनी राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादिनी का शुरू से ही नाम डिम्पल कंवर चला आ रहा है। केवल राजस्व रिकार्ड बशु कंवर अंकित हो गया है। वादिनी के अन्य तमाम दस्तावेजों में डिम्पल कंवर अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में बशु कंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत के नाम का अन्य कोई औरत नहीं है। वर्णित खसरान भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि पर वादिनी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है, इसलिए वादिनी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम डिम्पल कंवर अंकित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादिनी का गलत नाम बशु कंवर अंकित होने के कारण वादिनी को उपरोक्त खसरान भूमि पर के. सी.सी.बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादिनी अपनी पैतृक खातेदारी से ही वंचित हो रही है। वादगत खेतों में वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादिनी ने दिनांक 08.01.2024 को प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम डिम्पल कंवर है, जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम बशु कंवर अंकित कर दिया गया है, जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात मेरा सही नाम डिम्पल कंवर अंकित चला आ रहा है, उस हिसाब से दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिनी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । ऐसी स्थिति में वादिनी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि खेत खसरा नम्बर 1132/165 तादादी 0.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1133/474 तादादी 0.5100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.66 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादिनी का नाम बशु कंवर गलत अंकित चला आ रहा है, जिसकी दुरुस्ती करवाने का वादिनी अधिकारिणी है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया । इन्कारी की दिनांक से वादिनी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादिनी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादिनी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने सेवादिनी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलंग से धारा 80 (2) सी.पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खसरान भूमि के सहखातेदार गौण प्रतिवादी संख्या 2 से 8 उपरोक्त खसरान भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादगत खेत रोही मौजा पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्‌जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेशित किया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1132/165 तादादी 0.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1133/474 तादादी 0.5100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.66 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में बशु कंवर पुत्री किशनसिंह अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम डिम्पल कंवर पुत्री किशनसिंह घोषणा किया जाकर उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावे ।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1132/165 तादादी 0.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1133/474 तादादी 0.5100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.66 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे गलत नाम बशु कंवर की जगह डिम्पल कंवर अंकित किया जाकर दुरूस्ति किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जारी किया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 व स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1132/165 तादादी 0.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1133/474 तादादी 0.5100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.66 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में बशु कंवर पुत्री किशनसिंह अंकित हो रखा है उसके स्थान पर शुद्ध नाम डिम्पल कंवर पुत्री किशनसिंह घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:49 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S)

उनवान

बशु कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. अंकिता कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. अंजू कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. कंचन कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. सुमन कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 16/2024

निर्णय दिनांकः 24.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार एवं स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1132/165 तादादी 0.52 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1133/474 तादादी 0.5100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 487 तादादी 3.66 हैक्टेयर वाकेरोही पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में बशु कंवर पुत्री किशनसिंह अंकित हो रखा है उसके स्थान पर शुद्ध नाम डिम्पल कंवर पुत्री किशनसिंह घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक२५माह०८सन् 2025 को जारी किया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग		योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)